प्रेषक,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
चन्दौली।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0
सी–1 विकान्त खण्ड–1 (शहीद पथ के बगल में)
गोमती नगर,लखनऊ।

पत्रांक 16 /जि0आ0/मीडिएशन/2022–23 दिनांक , 19.04.2022

विषय जिला उपभोक्ता आयोग चन्दौली हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्रांक संख्या 3426/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0101/16 दिनांक 2 दिसम्बर 2021 एवं पत्रांक संख्या 5070/एस.सी.डी.आर.सी./अधि101/16 दिनांक 28फरवरी 2022 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2 उ0प्र0शासन की अधिसूचना सं0सी.पी.480/2021/84–2–2021–सी.एन. 1369528 दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्ता) विनियमन,2020 में दिये गये प्राविधानानुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चन्दौली हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस सम्बन्ध में प्राविधान है कि प्रश्नगत प्रकरण में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाय।

इस सम्बन्ध में इस जिला–चन्दौली के जिला सूचना अधिकारी से एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में इस सूचना को प्रकाशित कराने में होने वाला अनुमानित व्यय की जानकारी की गयी तो जिला सूचना अधिकारी चन्दौली द्वारा अवगत कराया गया कि इसमे लगभग रू0 50000/– से अधिक का व्यय हो सकता है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में आपसे अनुरोध है कि यदि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना को माननीय राज्य आयोग लखनऊ की बेवसाइट पर अपलोड करा दिया जाय और अत्यन्त सूक्ष्म में उपरोक्त दोनों समाचार पत्रों में मात्र इतना प्रकाशित करा दिया जाय कि–

आवश्यक सूचना

''जिला उपभोक्ता आयोग,चन्दौली में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0 लखनऊ की बेवसाइट www.scdrcup.nic.in से समस्त जानकारी डाउन लोड कर आवेदन कर सकते है।''

ऐसा करने पर विज्ञापन सूक्ष्म हो जाने से उस पर आने वाला व्यय न्यून हो जायेगा। उक्त क्रम में शर्ते एवं आवेदन का प्रारूप तथा अन्तिम तिथि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,
19/4/22
(जय प्रकाश सिंह)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
चन्दौली।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
चन्दौली

कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,चन्दौली।

सूचना

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उ0प्र0शासन की अधिसूचना सं0सी.पी. 480/2021/84–2–2021–सी.एन. 1369528 दिनांकः 25.11.2021 एवं मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0,लखनऊ के पत्रांक 3426/ एस0सी0डी0 आर0सी0/ अधि. 101/16 दिनांक:02.12.2021 के कम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,चन्दौली में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है।

इसी कम मेंउचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है।

मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए निम्न उल्लिखित व्यक्ति पात्र होगे:–

1– जिला उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य।

2– सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवा निवृत्त सदस्य।

3– दस वर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी।

4– वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता।

5– जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध मध्यस्थ।

6– मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 5 वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति।

7– न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवा निवृत्त अधिकारी।

निम्न उल्लिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए अनर्ह माने जायेगे:–

1– ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णित घोषित किया गया हो।

2– ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसा आपराधिक आरोप जिसमे नैतिक अधमता शामिल हो,लगाये गये हो, और लम्बित पडे हो।

3– ऐसा व्यक्ति,जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त हेतु सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

4– ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और लम्बित हो, दण्डित किया गया हो।

5– ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे सम्बन्धित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी,प्रमोटरों,मूल कम्पनी,अनुषंगी कम्पनी,भागीदारों निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से सम्बन्धित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा जुडा हुआ हो।

मध्यस्थतों के नियम और शर्ते,मध्यस्थतों को देय शुल्क सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम,2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगी।

पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र इस तरह से भेजेगें,कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,चन्दौली में अधिकतम दिनांक 18–5–2022 अपरान्ह 5 बजे सांय तक पहुंचे। इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक–1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते है।

19/4/22

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष आयोग,
चन्दौली।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
चन्दौली

अनुलग्नक–1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चन्दौली से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिए मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र

एक पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो

1	आवेदक का नाम (हिन्दी मे)	
2	आवेदक का नाम (अग्रेजी के कैपिटल लेटर मे)	
3	आवेदक के पिता / पति का नाम (हिन्दी मे)	
4	आवेदक की जन्मतिथि	
5	आवेदक का स्थायी पता	
6	आवेदक का मोबाइल नम्बर	
7	आवेदक का ई–मेल आईडी.नं0	
8	आवेदक के पत्राचार का पता	
9	आवेदक का वर्तमान व्यवसाय एवं वार्षिक आय	
10	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	
11	आवेदक का मध्यस्थता और शैक्षणिक क्षेत्र / सेवा में अनुभव	
12	क्या आपने कभी राज्य / केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है ?यदि हॉ तो विवरण दें।	
13	क्या आपने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हॉ तो विवरण दें, और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
14	यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश / सेवा निवृत्ति न्यायिक अधिकारी / उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य / वकालत का 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता / मध्यस्थता / सुलह में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति / न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्ति वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्ति अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अन्तिम पद का उल्लेख करें।	
15	क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज किया गया है?	
16	क्या आवेदक पर किसी अपराधिक मामलें में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हॉ तो उसका ब्यौरा क्या है।	
17	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामलें में दोष सिद्ध किया गया है? यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा	
18	कोई अन्य जानकारी जो कालम नं. 1 से 17 के अर्न्तगत नहीं आती है।	

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर और नाम

स्थान......................................

घोषणा–पत्र

एतद्द्वारा मै यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित की हैं वह सत्य है । भविष्य मे यदि कोई सूचनाये गलत पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जावे ।

दिनाक:

आवेदक का हस्ताक्षर व नाम

स्थान :

टिप्पणियाः–

1–आयु,शैक्षणिक योग्यता,अनुभव आदि के समर्थन मे सम्बन्धित दस्तावेजो की सत्यापित प्रतिया सलग्न करे।

2–आवेदन को दिनाक 18–5–2022 को साय 5बजे तक द्वारा रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वय उपस्थित होकर कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,पजाब नेशनल बैक के पीछे जसूरी रोड चन्दौली पिन कोड 232104 मे प्रेषित किया जाय।